

(ख) जब तक सर्वे रिपोर्ट नहीं मिलती, तब तक लाइन की लागत आदि के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।

†[THE DEPUTY MINISTER OF RAILWAYS (SHRI SHAH NAWAZ KHAN): (a) A survey for a rail line from Singrauli Coal fields to Pipri has been ordered recently.

(b) Pending receipt of the Survey Reports no data regarding cost etc. of the line can be furnished.]

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित सार्वजनिक समारोहों के लिये हिन्दी में भेजे गये निमंत्रण-पत्र

६२. श्री नवाबसिंह चौहान : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और उसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा १९६० में कितने सार्वजनिक समारोहों का आयोजन किया गया और उन में से कितनों के निमंत्रण-पत्र अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी भेजे गये ; और

(ख) क्या भविष्य में होने वाले ऐसे समारोहों के लिये सरकार द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि उन सभी निमंत्रण-पत्र तथा कार्य सूची का विवरण अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी भेजा जाया करे ?

†[INVITATIONS ISSUED IN HINDI FOR PUBLIC FUNCTIONS ORGANISED BY THE MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE

92. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the number of public functions which were organised by his Ministry and its attached and subordinate offices during the year 1960

and for how many of them invitation cards were issued in Hindi along with English; and

(b) whether any arrangement has been made by Government to ensure that all the invitation cards and programmes in respect of such functions to be held in future are issued in Hindi along with English?]

कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) :

(क) २७। तीन उत्सवों के निमन्त्रण-पत्र अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में भेजे गये, एक अवसर पर केवल हिन्दी में और कुछ अवसरों पर प्रादेशिक भाषाओं में।

(ख) साधारणतया विभिन्न दफ्तरों में हिन्दी अनुवाद के कार्य का प्रबन्ध है और उत्सवों के लिए आमतौर पर निमन्त्रण-पत्र और कार्यक्रम अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी भेजे जायेंगे।

†[THE DEPUTY MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI M. V. KRISHNAPPA): (a) 27. For three functions invitation cards were issued both in English and Hindi, in one case in Hindi only, and in a few cases in regional languages.

(b) Arrangements for Hindi translation generally exist in the various offices, and invitations and programmes in Hindi along with English will generally be issued for the functions.]

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त हिन्दी टाइप-राईटिंग तथा शीघ्रलिपि का प्रशिक्षण

६३. श्री नवाबसिंह चौहान : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा उसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों में अब तक कितने कर्मचारी गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित

कक्षाओं में हिन्दी टाइपराइटिंग तथा हिन्दी शीघ्रलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं ; और

(ख) क्या इन व्यक्तियों को हिन्दी टाइपराइटिंग तथा हिन्दी शीघ्रलिपि के काम पर नियमित रूप से लगाया जा रहा है ?

†[TRAINING IN HINDI TYPEWRITING AND SHORTHAND RECEIVED BY THE EMPLOYEES OF THE MINISTRY OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION.

93. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) the number of employees of his Ministry and its attached and subordinate offices who have so far received training in Hindi typewriting and Hindi shorthand in the classes conducted by the Ministry of Home Affairs; and

(b) whether these persons are being employed on Hindi typewriting and Hindi shorthand regularly?]

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री

के संसदीय सचिव (श्री एस० डी० मिश्र) :

(क) इस मंत्रालय में चार व्यक्ति हिन्दी टाइपराइटिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और हिन्दी शीघ्रलिपि में किसी ने नहीं किया। अधीनस्थ कार्यालयों से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) जी हाँ, जब कभी अवसर पड़ता है।

†[THE PARLIAMENTARY SECRETARY TO THE MINISTER OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI S. D. MISRA): (a) In this Ministry four persons have received training in Hindi typewriting and none in Hindi shorthand. The information from the subordinate offices is awaited.

(b) Yes, as and when occasion arises.]

नियमों का हिन्दी में अनुवाद

९४. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा उसके संलग्न और अधिनस्थ कार्यालयों ने कौन कौन से नियम विधि मंत्रालय के पास हिन्दी अनुवाद के लिये अबतक भेजे हैं ;

(ख) अबतक इनमें से कितनों का अनुवाद हो चुका है ; और

(ग) शेष नियमों का अनुवाद पूरा कराने के लिये क्या किया जा रहा है ?

†[TRANSLATION OF RULES INTO HINDI

94. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the Rules which have so far been sent by his Ministry and its attached and subordinate offices to the Ministry of Law for translation into Hindi;

(b) how many of them have so far been translated; and

(c) what steps are being taken to get the translation of the remaining Rules completed?]

रेल उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) :

(क) अब तक निम्नलिखित नियमों आदि के हिन्दी अनुवाद का मसौदा परिशोधन के लिए विधि मंत्रालय को भेजा गया है :—

१. रेल कर्मचारी आचरण नियम ।
२. भारतीय रेल सामान्य नियम ।
३. रेलवे सुरक्षा दल अधिनियम, १९५७
४. रेलवे सुरक्षा-दल नियम, १९५६ ।
५. भारतीय रेल सामान्य संहिता भाग I